संख्या 1113 /XXX(2)/2013-3(9)/2012

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 10 अक्टूबर, 2013

विषयः–मान्यता प्राप्त सेवा–संघों के पदाधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–336/XXX(2)/2011, दिनांक 03 जून, 2011 के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवासंघों/परिसंघों आदि के अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित्त एक कलेण्डर वर्ष के अधिकतम 07 (सात) दिन का तथा सेवासंघ के कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 04(चार) दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का प्राविधान किया गया है।

2– उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03 जून, 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित्त एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 12 (बारह) दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा तथा सेवासंघ के कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु पूर्व की भाँति अधिकतम 04(चार) दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

3– कृपया भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों को उपरोक्तानुसार विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने तथा शासन के उक्त निर्णय से अपने अधीन मान्यता प्राप्त संघों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या 1113 (1)/XXX(2)/2013–3(9)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या 336 XXX(2)/2011

प्रेषक

उत्पल कुमार सिंह
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव**
   उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष**
   उत्तराखण्ड।
3. **आयुक्त**
   कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
4. **समस्त जिलाधिकारी**
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 03 जून ~~मार्च~~, 2011

विषयः– मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों को 'विशेष आकस्मिक अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों में मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों द्वारा कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1582/का.–4/7–ई.एम.–79, दिनांक 11.10.1990 के अनुसार संघ के कार्यो हेतु वर्ष में 30 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया जा रहा है।

2– उक्त सन्दर्भित शासनादेश की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से पुष्टि करायी गयी। विशेष सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या ई.–ई.एम/2009/का–4–11, दिनांक 4 फरवरी 2011 में यह अवगत कराया गया है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 11.10.1990 निर्गत नहीं किया गया है तथा शासनादेश पूर्णरूपेण फर्जी है। सम्प्रति मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों को संघ के कार्य हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 283/का–4–7–ई.एम.–1981 दिनांक 20.5.1983 एवं शासनादेश संख्या 1847/का–4–7/ई.एम.–81–83, दिनांक 4.10.1983 के प्राविधान प्रभावी है (छाया प्रति संलग्न)।

3– शासनादेश दिनांक 20 मई 1983 एवं 4 अक्टूबर 1983 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों आदि के अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित्त एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 07 (सात) दिन का तथा सेवा संघ के कार्यकारिणी के सदस्यों को

ार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 04 (चार) दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

4— अतः भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों को उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20 मई 1983 एंव 4 अक्टूबर 1983 के प्राविधानों के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने तथा शासन के उक्त निर्णय से अपने अधीन मान्यता प्राप्त संघों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या /XXX(2)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
3. मान्यता प्राप्त परिसंघों के सचिव
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या—283/का–4–7–ई० एम०–1981

प्रेषक,

श्री नरेश चन्द्र सक्सेना,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग—4 लखनऊ, दिनांक 20 मई, 1983।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के मान्यताप्राप्त सेवा संघों/परिसंघों आदि के अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित्त एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 7 (सात) दिन का तथा सेवा संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों को जिनकी संख्या 5 से अधिक न होगी, कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 4 (चार) दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । यह सुविधा निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगी :—

(क) अध्यक्ष एवं सचिव अवकाश प्रार्थना–पत्र में सेवा संघ का नाम, संघ मान्यता प्राप्त है या नहीं, उनके द्वारा धारित पद का नाम, तथा संघ से संबंधित कार्य जिसके निमित्त अवकाश मांगा गया है आदि सूचना देते हुये उसे स्वीकृत करायेंगे ।

(ख) कार्यकारिणी के केवल उन्हीं सदस्यों को प्रार्थना–पत्र देने पर यह अवकाश सुविधा अनुमन्य होगी जो कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु बैठक के स्थान से बाहर से आयें । स्थानीय सदस्यों को यह सुविधा देय न होगी ।

(ग) जिन सेवा संघों के पदाधिकारियों के वार्षिक चुनाव दो वर्ष से अधिक अवधि से नहीं हुये हैं उनके पदाधिकारियों को उक्त सुविधा अनुमन्य न होगी ।

(घ) उपरोक्त विशेष आकस्मिक अवकाश की गणना राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले सामान्य आकस्मिक अवकाश या अन्य किसी प्रकृति के अवकाश के साथ न की जायेगी ।

2—आप से अनुरोध है कि शासन के उक्त निर्णय से अपने अधीन समस्त मान्यताप्राप्त संघों को जानकारी करायें तथा उपरोक्तानुसार प्रश्नगत सुविधा का दिया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय ,

नरेश चन्द्र सक्सेना,

सचिव ।

संख्या—283(1)/का—4–7–ई० एम०–81

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1—शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव ।

2—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

3—राज्य संयुक्त परामर्श संगठन के समस्त सदस्य (नाम से) ।

आज्ञा से,

आर० एन० श्रीवास्तव,

संयुक्त सचिव ।